@Shahjahanpurpol

प्रेस नोट - सराहनीय कार्य- दिनाँक-15.03.2023

थाना परौर पुलिस को मिली बडी सफलता,

दिनांक 11.03.2023 को थाना परौर के ग्राम खजुरी मे रहने वाले हेमेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने चन्दा देवी की तंमचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसके सम्बन्ध मे थाना परौर पर मु0अ0सं0 74/2023 धारा 449/302 भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्री एस0आनन्द, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद मे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध शस्त्र व शराब के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में श्री संजीव कुमार, बाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व श्री अजय कुमार राय, क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के कुशल निर्देशन मे थाना परौर की पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 14.03.2023 को थानाध्यक्ष संजय कुमार थाना परौर के नेतृत्व मे थाना परौर की पुलिस टीम द्वारा फरार मु0अ0सं0 74/23 धारा 449,302 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त हेमेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू सिंह पुत्र सूरजपाल सिंह निवासी ग्राम खजुरी थाना परौर जनपद शाहजहाँपुर को जिला चिकित्सालय परिसर शाहजहाँपुर समय 13.40 बजे पर गिरफ्तार किया गया। पूछने पर अभियुक्त ने बताया कि मेरे भतीजे मुनेश का विवाह ग्राम दिवियापुर थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर के रहने वाली श्रीमती सुनीता देवी के साथ हुआ था। मुनेश की सास श्रीमती चन्दा देवी का मेरे घर पर आना जाना था। इस दौरान हम दोनो साथ साथ रहने लगे। लगभग 7-8 वर्ष पूर्व दोनो लोगो ने अपना अपना पैसा लगाकर साथ में मकान बनाया था जिसमें हम लोगो काफी दिनो तक एक साथ रहे। चन्दा देवी वह मकान अपने नाम कराने के लिए कह रही थी। इसी बात को लेकर हम दोनो का विवाद हो गया था। माह जुलाई 2022 में वह अपने बेटे सोनू चौहान के साथ चली गयी। होली में चन्दा देवी अपने बेटे सोनू के साथ होली मनाने अपनी दामाद मुनेश व अपनी बेटी सुनीता के घर आयी थी। वह मेरे घर नहीं आयी। मैने कई बार घर आने के लिए कहा तो वह नहीं आयी तो मैने दिनांक 11.03.2023 को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी और तमंचा अपने घर मे छुपा दिया था।

श्रीमान जी अभियुक्त को गिरफ्तार कर मुकदमा उपरोक्त में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम –

1.हेमेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू सिंह पुत्र सूरजपाल सिंह निवासी ग्राम खजुरी थाना परौर जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण-

1. एक आलाकत्ल तमंचा 315 बोर , एक कारतूस जिन्दा 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 74/2023 धारा 449/302 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना परौर जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. **थानाध्यक्ष संजय कुमार**
2. **का0 2647 गुलशन कुमार**
3. **का0 2496 हिमांक कुमार**
4. **का0 2758 गौरव गौतम**
5. **का0 2842 राहुल कुमार**